C. Fee 15/-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० - /2009 पुनरावलोकन

रिव्यू 521-PBR/09

श्री एस० के० वाजपेयी एडवोकेट
द्वारा आज दि० 14.5.09 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

1- चम्पालाल पुत्र भगवानलाल, निवासी सन्तर नं0 1 सबलगढ, जिला मुरैना

2- रामगोपाल उर्फ गरीबा
3- मुन्नालाल
4- मांगीलाल
} पुत्रगण देवीलाल निवासीगण चांदनी चौक, सबलगढ, जिला मुरैना

------- असल आवेदकगण

विरूद्ध

1- महिला जावित्री देवी पत्नी प्रभूलाल, निवासी चांदनी चौक, सबलगढ जिला मुरैना

2- कलियानचन्द पुत्र बूटीराम, निवासी स्टेशन रोड सबलगढ, जिला मुरैना

3- कैलाशचन्द
4- राधेश्याम
5- पूरनचन्द
} पुत्रगण प्रभूदयाल

6- रज्जो उर्फ राजकुमारी पुत्री प्रभूदयाल

7- सरोज पुत्री प्रभूदयाल

8- मीना पुत्री प्रभूदयाल

9- रामचरण पुत्र सीताराम

10- चतुर्भुज पुत्र बूटीराम

निवासीगण चांदनी चौक, सबलगढ जिला मुरैना

------ तर०अनावेदकगण

18-2-2009

पुनरीक्षण प्र०क्र० 9-दो/1991 में दिनांक 14-1-2009 को पारित आदेश पारित व्दारा श्री राकेश बंसल, सदस्य,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 521–पीबीआर/09 जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–08–2014	प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 14–01–2009 को पुनरावलोकन में लेने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर आवेदक अधिक्ता को सुना गया । आवेदक की ओर से मुख्य तर्क यह दिया गया कि प्रकरण में राजीनामा व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था तथा राजीनामे पर संबंधित पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं इन बिन्दुओं पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–1–2009 में ध्यान नहीं दिया गया है । इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–1–2009 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित आदेश को इस आधार पर बरकरार रखा कि राजीनामे को सिद्ध करने के लिये विधिवत् वादग्रस्त भूमि के सभी दर्ज भूमिस्वामियों के बीच हुये राजीनामे पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के ब्यान दर्ज किये जाने चाहिये थे । इस न्यायालय के उक्त निष्कर्ष में अवैधानिक अथवा त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है । ऐसी स्थिति में पुनरावलोकन के पर्याप्त आधार नहीं होने से पुनरावलोकन अमान्य किया जाता है । **प्रशासकीय सदस्य**	